कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण एवं यूज़र चार्ज एकत्रीकरण कार्य हेतु "ई निविदा"

भाग–1

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण एवं यूज़र चार्ज एकत्रीकरण कार्य हेतु अनुभवी, प्रतिष्टित फर्मों से ई–टेण्डरिंग द्वारा (टू बिड सिस्टम) के अन्तर्गत http:// uktenders.gov.in के माध्यम से ई– निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	बेवसाईट website http://uktenders.gov.in पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि	06–03–2025 को अपराह्न 3बजे से
02	बेवसाईट website http://uktenders.gov.in पर नियत शर्तो/निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय	20–03–2025 अपराह्न 03.00 बजे तक
03	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई–निविदा की दिनांक 20–03–2025 को तकनीकी निविदा खोले जाने तथा नियमानुसार तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन आदि हेतु तिथि और समय	20–03–2025 अपराह्न 04.00 बजे
04	तकनीकी ई–निविदा में सफल निविदादाताओं की निविदाएं समिति तकनीकी ई निविदा खोले जाने के पश्चात् द्वारा नियमानुसार वित्तीय ई–निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	तकनीकी ई–निविदा खाले जाने के पश्चात

निविदा प्रपत्र का मूल्य – 12670=रू० (बारह हजार छः सौ सत्तर रूपये) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक से "अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर" के पक्ष में तैयार किया गया हो।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल) ।

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्ततगत सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक / अजैविक पृथक्कीकरण कर निस्तारण एवं यूज़र चार्ज एकत्रीकरण कार्य हेतु "ई निविदा"

भाग–2

1. नगरपालिका परिषद,रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक / अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य करना ।
2. कार्यादेश के पश्चात् सफल निविदादाता / फर्म, पालिका सीमार्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक / अजैविक पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य, पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहनों से कराना, पालिका द्वारा स्थापित काम्पैक्टर मशीन से प्लास्टिक अपशिष्ट की बैल्स तैयार करना व उसका निस्तारण रिसाईक्लिंग प्लान्ट में कराना और उससे होने वाली आय पालिका को उपलब्ध कराना, पालिका परिसर में स्थापित कम्पोस्ट मशीन के माध्यम से जैविक कूड़े का निस्तारण करते हुए खाद तैयार कराना व पालिका परिसर में जैविक खाद विक्रय केन्द्र स्थापित करते हुए जैविक खाद का विक्रय कर उससे होने वाली आय पालिका को उपलब्ध कराना तथा पालिका सीमार्न्तगत स्थित सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से यूजर चार्जेज पालिका द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार वसूल कर पालिका को उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ करेगी।
3. पालिका सीमार्न्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक / अजैविक पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य, आवासीय / सरकारी / गैर सरकारी भवनों से प्रथम पारी ग्रीष्मकाल में प्रातः 6 बजे से कार्य समाप्ति तक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दो पारियों में क्रमशः प्रातः 6 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा सांय 7 बजे से कार्य समाप्ति कर डोर टू डोर कलैक्शन / पृथक्कीकरण कार्य तथा आवासीय / सरकारी / गैर सरकारी भवनों से प्रथम पारी शीतकाल में प्रातः 7 बजे से कार्य समाप्ति तक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दो पारियों में क्रमशः प्रातः 7 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा सांय 6 बजे से कार्य समाप्ति कर डोर टू डोर कलैक्शन / पृथक्कीकरण का कार्य पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहनों से कराना, पालिका परिसर द्वारा स्थापित काम्पैक्टर मशीन से प्लास्टिक अपशिष्ट की बैल्स तैयार करना व उसका निस्तारण रिसाईक्लिंग प्लान्ट में कराना और उससे होने वाली आय पालिका को उपलब्ध कराना, पालिका परिसर में स्थापित कम्पोस्ट मशीन के माध्यम से जैविक कूड़े का निस्तारण करते हुए खाद तैयार कराना व पालिका परिसर में जैविक खाद विक्रय केन्द्र स्थापित करते हुए जैविक खाद का विक्रय कर उससे होने वाली आय पालिका को उपलब्ध कराना तथा पालिका सीमार्न्तगत स्थित सरकारी / गैर सरकारी / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से यूजर चार्जेज पालिका द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार वसूल कर पालिका को उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ करेगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह के 100=00रू0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संविदा का लिखित सम्पादन करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

ममकार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल) ।

भाग–3

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक पृथक्कीकरण कर निस्तारण एवं यूज़र चार्ज एकत्रीकरण कार्य हेतु "ई निविदा" की तकनीकी एवं वित्तीय बिड की नियम/शर्ते

1–उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा के आधार पर नगरपालिका परिषद रामनगर द्वारा पालिका सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य, संविदा निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक किए जानें हेतु, इच्छुक निविदादाताओ से दिनांक 20–03–2025 अपराह्न 03.00 बजे तक website http:// www.uktenders.gov.in के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

2– ई–निविदा में प्रतिभाग करनें के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Singnature Certificate) होना अनिवार्य है।

3–निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड ANNEXURE –1 में एवं वित्तीय बिड BoQ में केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

4– उल्लेखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, दिनांक 20–03–2025 को अपराह्न 03.00बजे से निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोला जाएगा और तत्पश्चात् तकनीकी ई–निविदाओं का अधिकृत सक्षम अधिकारियों के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जाएगा।

5–निविदा–दाता फर्म आदि का GST, Income Tax, रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा ।

6–निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की न्यूनतम तीन नगर निकायो में कम से कम दो वर्ष की अवधि का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य किए जाने सम्बन्धी संविदा की शर्तो का पालन किया गया है।

7–निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए फर्म आदि को रू0 100=00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र ई–तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा कि :–

(1) निविदादाता/फर्म आदि किसी भी राज्य/स्थानीय निकाय में ब्लैक लिस्टेड नहीं है और ना ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।
(2) किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।
(3) तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य है और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था, छिपाई नहीं गयी है।

क्रमशः 2 पर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

8– निविदा के साथ धरोहर (EMD) के रूप अंकन रू0 429500=00 (चार लाख उन्तीस हजार पाँच सौ रूपये) एफ0डी0आर0, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर जिला–नैनीताल के पक्ष में तैयार की गयी हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9– तकनीकी निविदा हेतु समस्त वांछित अभिलेख एवं धरोहर धनराशि हेतु एफ०डी०आर०, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद, की फोटो स्टेट स्व प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ बेवसाईट में अपलोड करनी होगी, जिनकी मूलप्रतियां, जो एक सील्ड लिफाफे में रखते हुए लिफाफे के शीर्ष पर "नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य/हेतु तकनीकी दस्तावेज लिखा होना चाहिए और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो, दिनांक 20–03–2025 को अपराह्न 3 बजे तक नगरपालिका परिषद रामनगर जिला–नैनीताल के कार्यालय में रखे ड्राप बॉक्स में डालनी होगी। प्रस्तुत ना किए जाने की स्थिति निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

10– निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप प्रस्तुत न करनें पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी ई–निविदा ANNEXURE-1 के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र रखे जाएगे जो कि धरोहर राशि की एफ०डी०आर०, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो भी हो/निविदा प्रपत्र का मूल्य 12670=00रू0 (बारह हजार छह सौ सत्तर रूपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 20–03–2025 अपराह्न 3.00बजे तक अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, रामनगर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ऐसा ना करनें पर निविदादाता/फर्म की तकनीकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी। वित्तीय ई–निविदा हेतु केवल BoQ में online प्रस्तुत की जाएगी।

11– निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा ई–तकनीकी निविदाएं खोली जायेंगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाए गए निविदादाताओं की ही यथा समय अध्यक्ष नगरपालिका परिषद रामनगर के निर्देशानुसार वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेंगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदादाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी ।

12– नियमानुसार ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पायी गयी फर्म आदि की ई–वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चातत् फर्म आदि को न्यूनतम निविदा के आधार पर एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ।

13– ई–वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात् निविदा संमिति के द्वारा एल0–1 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करनें के लिखित/मौखिक अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि समय तक अपेक्षित धरोहर की धनराशि/समस्त दस्तावेज जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उक्त निविदादाता फर्म का टेण्डर निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसकी धरोहर राशि को जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

14–सफल निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित शुल्क के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध करना होगा, जिसकी विषय वस्तु से पालिका द्वारा यथा समय अवगत करा दिया जाएगा।

15– तकनीकी ई–निविदा के रूप में निम्नलिखित अभिलेखों आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति की प्रतियां जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर लगी हो तथा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किए गए हो, ANNEXURE–1

क्रमशः 3 पर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

पर सारांश सहित रखी होनी चाहिएः–

1. जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख
2. निविदादाता फर्म आदि का पैन कार्ड
3. किसी भी राज्य/स्थानीय निकाय में ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटेरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र मूलरूप में
4. धरोहर की धनराशि एफ०डी०आर०, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद की प्रमाणित प्रति
5. निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तो के इस अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हो, अभिलेख यथा – अनुभव/संविदा शर्तो का पालन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु फर्म/निविदादाता का स्वयं का निकाय क्षेत्रान्तर्गत/उत्तराखण्ड में संचालित रिसाईक्लिंग प्लांट होने सम्बन्धी प्रमाण व रिसाईक्लिंग प्लान्ट में लगी मशीनों को क्रय किए जाने सम्बन्धी बिलों की स्वप्रमाणित प्रति एवं रिसाईक्लिंग प्लान्ट का जी०एस०टी०रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणितप्रति आदि ।
6. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है, उसका फर्म होने का प्रमाण–पत्र/Registration का प्रमाण–पत्र आदि ।
7. एक सौ रूपये का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसमें निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित रसीदी टिकट लगा हो प्रस्तुत करना होगा ।
8. निविदादाता के पास निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की न्यूनतम तीन नगर निकायो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य किए जाने सम्बन्धी निविदादाता के पक्ष में इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत हो कि सम्बन्धित फर्म द्वारा संविदा की शर्तो का पालन करते हुए सन्तोषजनक कार्य किया गया है।
9. निविदादाता/फर्म का प्रतिवर्ष कम से कम 1.00 करोड़ रूपये का टर्न ओवर होना आवश्यक है, जिस हेतु निविदादाता/फर्म द्वारा पिछले दो वर्षो के आई०टी०आर० की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
10. निविदादाता/फर्म का उत्तराखण्ड राज्य राज्य में कम से कम 5 वर्ष पूर्व कम्पनी एक्ट, सोसायटी एक्ट के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, जिसकी स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. निविदादाता/फर्म ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा राजकीय ट्रेनिंग संस्थान अथवा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

16– वित्तीय ई–निविदा के प्रारूप BoQ में दरें स्पष्ट रूप से प्रतिवार्ड प्रतिमाह की दर से अंकित की जानी चाहिए।

17– प्रश्नगत कार्य में लगाए जाने वाले श्रमिकों के वेतन/इन्श्योरेन्स/ई०पी०एफ/सुरक्षा उपकरण/वर्दी आदि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व निविदादाता का होगा, इस सम्बन्ध में भी एक घोषणा पत्र देना होगा।

18– निविदादाता द्वारा पालिका सीमार्न्तगत उत्पादित होने वाले अजैविक (प्लास्टिक अपशिष्ट) को पालिका में स्थापित काम्पैक्टर से बैल्स बनाकर एकत्रीकरण कर, रिसाईक्लिंग प्लांट में निस्तारण करायेगा व प्लास्टिक अपशिष्ट विक्रय से प्राप्त होने वाली आय पालिका निधि में जमा करायेगा। एवं पालिका में स्थापित काम्पैक्टर के संचालन के बिजली के बिल का भुगतान का निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

19– निविदादाता द्वारा पालिका परिसर में स्थापित कम्पोस्ट मशीन के माध्यम से पालिका सीमार्न्तगत उत्पादित होने वाले जैविक कूड़े का निस्तारण करते हुए जैविक खाद को तैयार करना होगा व पालिका परिसर में जैविक खाद विक्रय केन्द्र स्थापित करते हुए जैविक खाद का विक्रय कर उससे होने वाली आय पालिका को उपलब्ध कराना होगा। एवं पालिका में

क्रमशः 4 पर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

स्थापित कम्पोस्ट मशीन के संचालन के बिजली के बिल का भुगतान का निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

20– पालिका द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार पालिका सीमान्तर्गत स्थित सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण कार्य में लगाए गए अपने कार्मिकों से यूजर चार्जेज की वसूली कराकर पालिका को उपलब्ध करायेगा। जिसका वार्डवार ब्यौरा निविदादाता/एजेन्सी द्वारा तैयार किया जायेगा।

21– संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर संविदा के मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि की कार्यपूर्ति प्रतिभूति जो एफ०डी०आर०, बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद (अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के पक्ष में बन्धक हो) के रूप में ही जमा करते हुए निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध (संविदा) का निष्पादन करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदादाता द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

22– पालिका अनुमान सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादित होने वाले अजैविक कूड़े (पुर्नचक्रणीय सामग्री यथा– बोतलें प्लास्टिक/कांच, लोहा, टिन, गत्ता व अन्य प्लास्टिक/रबर से निर्मित अपशिष्ट एवं घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट यथा– फ्यूज एल०ई०डी०, बल्ब, सी०एफ०एल०, इलैक्ट्रानिक पार्टस, पेन्ट्स के टिन/प्लास्टिक के डिब्बे, आदि की औसत मात्रा 2.5 कि०ग्रा० प्रतिवार्ड प्रतिदिन है, के अनुसार पालिका को उपलब्ध कराना होगा, यदि एजेन्सी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अजैविक कूड़ा पालिका को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो निर्धारित मानक के अनुसार अजैविक अपशिष्ट की औसत मात्रा की धनराशि का आंगणन करते हुए, प्रचलित बाजार दर के अनुसार, पालिका मासिक बिल की धनराशि से कटौती कर लेगी।

22– पालिका सीमार्न्तगत 20 वार्डो में जैविक/अजैविक अपशिष्ट एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण कार्य कराये जाने में जितने भी श्रमिकों/चालकों/आपरेटरों/सुपरवाईजरों/मैनेजरों की आवश्यकता पडेगी उनकी नियुक्ति स्वयं एजेन्सी द्वारा की जाएगी तथ उनको नियमानुसार वेतन तथा अन्य देयकों का भुगतान नियमित रूप से एजेन्सी द्वारा किया जायेगा पालिका द्वारा इस कार्य में लगने वाले श्रमिकों/चालकों/आपरेटरों/सुपरवाईजरों/मैनेजरों को किसी भी प्रकार का वेतन/मानदेय/इन्श्योरेन्स आदि भुगतान नहीं किया जाएगा तथा कार्य नियुक्त श्रमिकों/चालकों/आपरेटरों/सुपरवाईजरों/मैनेजरों को पहचान–पत्र, वर्दी, सफाई कार्य सम्बन्धी समस्त सुरक्षा उपकरण भी एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त पालिका को कार्य में लगाए गए समस्त कार्मिकों का ब्यौरा भी पालिका को उपलब्ध कराना होगा ।

23– पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गए वाहनों की देख–रेख अनुरक्षण, टूट–फूट, ईंधन आदि का व्यय स्वयं एजेन्सी को वहन करना होगा। इसके लिए पालिका द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

24– एजेन्सी द्वारा समय–समय पर नगरपालिका परिषद, रामनगर की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/प्लास्टिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी जनजागरूकता अभियान चलाना होगा। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए नगर की रैंकिंग में आवश्यक सुधार लाना सुनिश्चित करेंगें।

25– पालिका सीमार्न्तगत स्थित छोटी–छोटी गलियों में डोर–टू–डोर कलैक्शन हेतु पालिका द्वारा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये गए वाहन/ई–रिक्शा चलवानें होगे यदि छोटी गलियों में रिक्शा नहीं चलाए जाते है, तो आंगणन के प्राविधानानुसार मासिक बिल से धनराशि की कटौती की जाएगी।

26– सफल निविदादाता द्वारा सन्तोषजनक कार्य किए जाने पर आगामी वर्ष के कार्य संचालन के लिए कार्यवधि बढ़ाये जाने पालिका बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

27– किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में मा०अध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम होगा, एवं न्यायिक क्षेत्र रामनगर एवं जिला नैनीताल होगा ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

कार्यालय नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।

भाग–4

Annexure–1

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमार्न्तगत स्थित 20 वार्डो में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़े का जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण एवं यूज़र चार्ज एकत्रीकरण कार्य।

1. निविदादाता का नाम
2. निविदादाता का पता (टेलीफोन नम्बर/ई–मेल आईडी सहित)
3. फर्म का नाम एवं स्वरूप (एक स्वयं/साझेदारी यदि साझेदारी, हो तो साझेदारी के पत्रजात) रू–
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट नं० दिनांक
5. ई–निविदा की शर्त सं0–16 के अनुसार वांछित तकनीकी अभिलेखों का विवरण मय अभिलेखों सहित–

क्र०सं0	तकनीकी अर्हता हेतु प्रस्तुत अभिलेखों का विवरण	संलग्न किए गए अभिलेख की संख्या
1	जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
2	निविदादाता फर्म आदि का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड	
3	ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटेरी के समक्ष तैयार शपथ–पत्र मूलरूप में एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
4	धरोहर की धनराशि एफ०डी०आर०, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद की मूल प्रति व स्केनिंग प्रति अपलोड।	
5	1. निविदा हेतु निर्धारित नियम शर्ते स्वप्रमाणित प्रति, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता/फर्म आदि की मोहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हो, की स्वप्रमाणित प्रति व स्केनिग प्रति अपलोड। 2. अनुभव/संविदा शर्तो का पालन सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड। 3. प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु फर्म/निविदादाता का स्वयं का निकाय क्षेत्रान्तर्गत/जिला नैनीताल में संचालित रिसाईक्लिंग प्लांट होने सम्बन्धी प्रमाण व रिसाईक्लिंग प्लान्ट में लगी मशीनों को क्रय किए जाने सम्बन्धी बिलों की स्वप्रमाणित प्रति एवं रिसाईक्लिंग प्लान्ट का जी०एस०टी०रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणितप्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड करनी होगी।	
6	निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है, उसका फर्म होने का प्रमाण–पत्र/ Registration का प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
7	100=00रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रसीदी टिकट लगा हुआ मय हस्ताक्षर मूल रूप में तथा स्कैनिंग किया हुआ अपलोड।	
8	निविदादाता के पास उत्तराखण्ड की न्यूनतम तीन नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अर्न्तगत सरकारी/गैर सरकारी/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण तथा एकत्रित कूड़ा (जैविक/अजैविक) पृथक्कीकरण कर निस्तारण कार्य किए जाने सम्बन्धी निविदादाता के पक्ष में इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत हो कि सम्बन्धित फर्म द्वारा संविदा की शर्तो का पालन किया गया है। प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

9	निविदादाता/फर्म का प्रतिवर्ष कम से कम 1.00 करोड़ रूपये का टर्न ओवर होना आवश्यक है, जिस हेतु निविदादाता/फर्म द्वारा पिछले दो वर्षो का आई०टी०आर० की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
10	निविदादाताध्फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में कम से कम 5 वर्ष पूर्व कम्पनी एक्ट, सोसायटी एक्ट के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन होने सम्बन्धी अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
11	निविदादाता/फर्म ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षित होना अनिवार्य है तथा राजकीय ट्रेनिंग संस्थान अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
12	कार्य में लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/इंश्योरेन्स/ई०पी०एफ०/सुरक्षा उपकरण/वर्दी आदि उपलब्ध कराये जाने का घोषणा पत्र मूल प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
13	अजैविक अपशिष्ट (प्लास्टिक अपशिष्ट) स्वयं के रिसाईक्लिंग प्लान्ट निस्तारित करायेगा तथा प्लास्टिक अपशिष्ट विक्रय से प्राप्त होने वाली आय पालिका में जमा किए जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र की मूल प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	
14	डोर टू डोर कार्य में लगाए गए कार्मिकों से यूजर चार्जेज की वसूली पालिका द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कराकर आय पालिका कोष में जमा कराये जाने का घोषणा–पत्र की मूल प्रति एवं स्केनिंग प्रति अपलोड।	

6–अन्य यदि कोई हो (उल्लेख करे)

7– संलग्नकों की कुल संख्या

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय नगरपालिका परिषद रामनगर विभाग द्वारा ई–निविदा के लिए निर्धारित प्रस्तर–1–28 तक में उल्लिखित नियम/शर्तो को भलि–भाँति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात् ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्ते स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के नियम/शर्तो का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करनें या उल्लंघन करनें के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होंगी।

हस्ताक्षर :–

पूरा नाम :–

पूरा पता :–

फोन/फैक्स नं0 :–

ई–मेल आईडी :–

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाए

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)